



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 चैत्र 1948 (श0)
(सं0 पटना 292) पटना, मंगलवार, 24 मार्च 2026

सं० रा0वृ0परी0-05 / 2022—137
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

संकल्प
11 फरवरी 2026

राज्यों और आरडीएसडी को अधिक स्वायत्तता और समन्वय के साथ तेजी से कौशल विकास गतिविधियों को बढ़ाने के लिए डी0जी0टी0 भारत सरकार तथा राज्य के सभी प्रभागों के सदस्यों के साथ राज्य कौशल विकास एवं उद्यमिता समिति "State Skill Development & Entrepreneurship Committee" (SSDEC) का गठन किया गया था। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना सं0-1569, दिनांक-10-12-2025 के द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को नये विभाग युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत रखा गया है, जिसके आलोक में राज्य कौशल विकास एवं उद्यमिता समिति "State Skill Development & Entrepreneurship Committee" (SSDEC) का निम्नरूपेण पुनर्गठन किया जाता है:-

क्र०सं०	समिति के सदस्यों का विवरण	पदनाम
1	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना	अध्यक्ष
2	निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना	सदस्य
3	मिशन निदेशक, बिहार कौशल विकास मिशन, बिहार, पटना	सदस्य
4	क्षेत्रीय निदेशक, कौशल विकास एवं उद्यमिता (RDSDE), बिहार, पटना	सदस्य एवं समन्वयक
5	सहायक निदेशक (परीक्षा), निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना	सदस्य
6	प्राचार्य, महिला राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, (NSTI(W)) बिहार, पटना	सदस्य
7	राज्य समन्वयक अधिकारी (SEO) "National Skill Development Corporation" (NSDC), बिहार, पटना।	सदस्य

8	प्रतिनिधि, जन शिक्षण संस्थान (JSS) बिहार।	सदस्य
9	प्रतिनिधि, राष्ट्रीय उद्यम ज्ञान एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान "National Institute of Entrepreneurship and Small Business Development" (NIESBUD), बिहार	सदस्य

समिति का मुख्य कार्य एवं दायित्व निम्न प्रकार होगा:-

1. नामांकन संबंधी कार्य-

- डी0जी0टी0 भारत सरकार सत्र प्रारंभ होने के पूर्व नामांकन एवं परीक्षा कैलेंडर उपलब्ध करायेगी, जिसके अनुसार राज्य में संबंधित तैयारी किया जाना।
- राज्य के विद्यालयों में 10वीं या समकक्ष पास छात्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए शत प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित कराना।
- आवश्यकतानुसार सभी संस्थानों में नियमित नामांकन समाप्त होने के उपरान्त अतिरिक्त दो सप्ताह में योग्य अभ्यर्थियों का Walk in Admission कराना।

2. परीक्षा संबंधी कार्य-

- डी0जी0टी0 के द्वारा निर्धारित समयावधि में Practical /CBT परीक्षाओं का कार्यक्रम तैयार करना एवं उक्त समयावधि में परीक्षा संचालन कराना।
- व्यवहारिक परीक्षाओं का प्रश्न पत्र तैयार कराना।
- परीक्षाओं के सफल संचालन हेतु पर्यवेक्षक, परीक्षक, उड़नदस्ता दल आदि की प्रतिनियुक्ति कराना।
- NCVT MIS Portal पर परीक्षा से दो दिन पूर्व Formative Assessment तथा व्यवहारिक परीक्षा के उपरान्त व्यवहारिक परीक्षा का प्रप्तांक अपलोड कराना।
- CBT एवं व्यवहारिक परीक्षा का सेन्टर मैपिंग कराना। परीक्षा एवं परीक्षाफल से संबंधित प्राप्त शिकायत का निष्पादन।
- Profile Related Grievance का निष्पादन।

3. संबद्धन से संबंधी कार्य-

- औ0 प्र0 संस्थानों में नया यूनिट/शिफ्ट जोड़ने, व्यवसाय को समर्पित/परिवर्धित करने, डी0जी0टी0 द्वारा निर्धारित डी0एस0टी0 संबंधित मार्ग-दर्शिका के आलोक में राजकीय औ0 प्र0 संस्थानों तथा पूर्व से स्थापित निजी औ0 प्र0 संस्थानों में डी0एस0टी0 लागू करने हेतु डी0जी0टी0 भारत सरकार को अनुशंसा करना।
- सभी औ0 प्र0 संस्थानों के स्थान परिवर्तन अथवा SCVT से NCVT में परिवर्धन हेतु जाँच कराना।
- डी0जी0टी0 भारत सरकार के दिशा-निर्देश के आलोक में जाँच दल गठित कर NIMI Online App के माध्यम से औ0 प्र0 संस्थानों की जाँच कराना।
- नये औ0 प्र0 संस्थानों के संबद्धन हेतु Desktop Assessment कराना।
- SCVT के अंतर्गत संचालित औ0 प्र0 संस्थानों को NCVT में संबद्धन हेतु प्रस्तावित करना।
- जिस जिले/प्रखण्ड में औ0 प्र0 संस्थान संचालित नहीं है, वहाँ State Education Department से समन्वय स्थापित कर राजकीय उच्च विद्यालय में कम से कम एक व्यवसाय के साथ औ0 प्र0 संस्थान को स्थापित कराना।
- Skill Gap का आकलन कर Long Term Vocational Course को शुरू कराना।

4. De-affiliation से संबंधित कार्य-

- औ0 प्र0 संस्थानों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जाँच करना तथा डी0जी0टी0 भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार संयुक्त निरीक्षण कर अपनी अनुशंसा डी0जी0टी0 भारत सरकार को SCAA (Standing Committee on Accreditation and Affiliation) से अनुमोदन हेतु प्रेषित करना।

5. भारत कौशल प्रतियोगिता से संबंधित कार्य-

- भारत कौशल प्रतियोगिता/विश्व कौशल प्रतियोगिता हेतु प्रचार-प्रसार कराना, राज्य स्तर पर टीम का चयन करना, NSTI/ITI/JSS/PMK केन्द्रों से कौशल प्रतियोगिताओं के लिए

- पंजीकरण कराना तथा प्रतिभागियों एवं विजेताओं के लिए एक ट्रेकिंग प्रणाली स्थापित करना।
वैसे अभ्यर्थी जो उपरोक्त केन्द्रों से संबंधित नहीं है, उन्हें भी प्रतियोगिता हेतु भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना।
- (ii) कम से कम एक या दो व्यवसाय को राज्य के ब्रांड के रूप में चिन्हित करते हुए सेन्टर ऑफ एक्सिलेन्स स्थापित करना जिसे उदाहरण के रूप में दर्शाया जा सके।
- (iii) कौशल प्रतियोगिता हेतु प्रशिक्षकों एवं प्रशिक्षुओं के लिए क्षेत्र कौशल परिषदों "Sector Skill Council" (SSC)/संबंधित सेक्टरों के औद्योगिक समूहों के बीच समन्वय/मानक दिशा-निर्देशों और प्रक्रियाओं को तैयार करना, राज्य स्तर पर सभी कौशल क्षेत्रों में उद्योग की उपलब्धता/जिला स्तर पर सभी कौशल क्षेत्रों के उद्योग विशेषज्ञों की उपलब्धता कराना।
- (iv) भारत कौशल/विश्व कौशल प्रतियोगिता का आयोजन NSDC/SSDM के माध्यम से कराना।
6. NIMI पुस्तकों तथा प्रश्न बैंक सामग्री का अनुवाद क्षेत्रीय भाषा में किये जाने से संबंधित प्रगति की समीक्षा कर डी0जी0टी0 भारत सरकार को अद्यतन स्थिति से अवगत कराना।
7. JSS & NEISBUD/ IIE के तहत चल रही कौशल और उद्यमिता गतिविधियों की निगरानी। इन योजनाओं के लाभों का प्रचार करते हुए इन योजनाओं में समन्वय स्थापित करना।
8. उक्त समिति तिमाही समीक्षा बैठक आयोजित करते हुए समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही एवं अनुपालन की अद्यतन स्थिति डी0जी0टी0 भारत सरकार को उपलब्ध करायेगी।
उक्त प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 292-571+100-डी0टी0पी0
Website: : <https://egazette.bihar.gov.in>